

बीपीसी(एल.पी.)की

172वीं बैठक

दिनांक 24.02.2012

में प्रस्तुत किये
जाने वाले एजेण्डा
नोट

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/ अति.मु.न.नि./ बीपीसी/ 12/ डी- 110

दिनांक:- 22/2/12

मीटिंग सूचना :-

भवन मानचित्र समिति (एल.पी.) की 172 वीं बैठक दिनांक 24.02.12 को दोपहर 1:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई है। समिति के सदस्यों तथा विशेष आमंत्रित अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया बैठक में भाग लेने का श्रम करें। एजेण्डा नोट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

- | | |
|--|------------|
| 1. राचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। | सदस्य |
| 2. निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. अति. आयुक्त (एल.पी.सी.) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. अति. आयुक्त (भूमि) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

- उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
- विशेषाधिकारी अधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
- उप रजिस्ट्रार, सहकारिता, जयपुर।


22/2/12
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
(ले-आउट प्लान)

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

- निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
- अति. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एलपीसी/भूमि) जविप्रा, जयपुर।
- उपायुक्त, जोन.....जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
- लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
- उपरजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।


22/2/12
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
(ले-आउट प्लान)

बीपीसी (एलपी) की 172 वीं बैठक दिनांक 24.02.2012 में रखे जाने वाले प्रकरणों की सूची:-

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | जोन | पेज संख्या |
|----------|----------------|--|--------|------------|
| 1. | 1. | बीपीसी (एलपी) की 170वीं एवं 171वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं क्रियान्विति समीक्षा। | - | 1 से 7 |
| 2. | 2. | जलमहल हाउसिंग को. सो. लि. की योजना नं. 7(एच.आर कालोनी) के भूखण्ड संख्या 38 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 1 का शुद्धिकरण किये जाने के संबंध में। | जोन-2 | 8 से 9 |
| 3. | 3. | भूखण्ड संख्या 123 एवं पार्ट भूखण्ड संख्या 102, 103 योजना संतोष नगर का पुर्नगठन किये जाने बाबत। | जोन-5 | 10 से 11 |
| 4. | 4. | ग्राम झोंटवाडा के खसरा नं. 12645 में निजी खातेदार द्वारा 0.8 बिस्वा भूमि में से 100 वर्ग गज भूमि का पट्टा दिये जाने के संबंध में। | जोन-6 | 12 |
| 5. | 5. | श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार 15 के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 131 वर्ग गज के नियमन बाबत। | जोन-6 | 13 |
| 6. | 6. | संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति आफिसर्स कैंम्पस विस्तार योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 9 से 16 के पुर्नगठन बाबत। | जोन-7 | 14 से 15 |
| 7. | 7. | भूखण्ड संख्या 7, 8, 9, 26, 27, 28 योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.समिति) के पुर्नगठन के संबंध में। | जोन-9 | 16 |
| 8. | 8. | भूखण्ड संख्या 4, 5, 6, 29, 30, 31 योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.समिति) के पुर्नगठन के संबंध में। | जोन-9 | 17 |
| 9. | 9. | मृदुल लोयलका खसरा नं. 1952, 1953/2, 1953/3 जैतपुरा चौमूं के फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा दिये जाने के संबंध में। | जोन-12 | 18 |
| 10. | 10. | संजय केडिया पुत्र श्री गौरीशंकर केडिया खसरा नं. 1951/8, 1953/6, 1964/2538 जैतपुरा, चौमूं के फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा दिये जाने के संबंध में। | जोन-12 | 19 |
| 11. | 11. | शरद लोयलका खसरा नं. 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1951/4, जैतपुरा चौमूं के फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा दिये जाने के संबंध में। | जोन-12 | 20 |
| 12. | 12. | श्री प्रदीप मित्तल एवं श्री मनोज मित्तल का ग्राम कानोता तहसील बस्सी में खसरा नं. 270, 275, 276, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/4, 285, 929/281 में कुल रकबा 53 बीघा 2 बिस्वा भूमि में रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने के संबंध में। | जोन-13 | 21 |


कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी (एल.पी.) हेतु एजेण्डा नोट

| | |
|----------------|------------|
| बैठक संख्या | 172 |
| एजेण्डा संख्या | 1 |
| बैठक दिनांक | 24.02.2012 |

विषय:— बीपीसी (एल.पी.) की 170वीं बैठक दिनांक 10.01.2012 को एवं 171वीं बैठक दिनांक 17.01.2012 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि ।

भवन मानचित्र समिति (एल.पी.) की 170 वीं बैठक दिनांक 10.01.12 को एवं 171वीं बैठक दिनांक 17.01.2012 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।


अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी)
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति, (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 170 वीं बैठक दिनांक 10.01.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री राजन विशाल, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एन.के. खरे, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त, (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओ.पी. गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र सिंह उपायुक्त जोन-1 जविप्रा, जयपुर।
2. श्री हरिदर सिंह उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमति साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (II), जविप्रा जयपुर।
5. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (III), जविप्रा जयपुर।
6. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12 जविप्रा, जयपुर।
7. श्री हरि प्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11 जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

170/10.01.2012

विषय:- वीपीसी (ले आउट प्लान) 169 वीं बैठक दिनांक के 17.11.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2

170/10.01.2012(जोन-6)

विषय:-श्री गणपति ग.नि.स.स. की योजना बालाजी, विहार-15 के भूखण्ड संख्या 44 क्षेत्रफल 165.00 व.ग. एवं भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 164.00 व.ग. के नियमन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 44, 45, 46 स्वीकृत है। स्वीकृत योजना मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 44, 45, 46 की चौड़ाई 20'-0" है जबकि मौके पर भूखण्ड संख्या 44, 45 की चौड़ाई 30'-30" है तथा भूखण्ड संख्या 46 उपलब्ध नहीं है। इसलिये विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि मौके स्थिति के अनुसार भूखण्ड संख्या 44, 45 को 30'-30" चौड़ाई में स्वीकृत किया जावे तथा भूखण्ड संख्या 46 को विलोपित किया जावे। जारी करने से पूर्व जोन द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि भूखण्ड संख्या 46 को समाप्त करने में कोई आपत्ति तो नहीं है।



एजेण्डा संख्या:-3

170/10.01.2012 (जोन-9)

विषय:-निजी खातेदारी योजना द्वाराकापुरी के भूखण्ड संख्या 68, 69, 91, 92 के पुर्नगठन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श गया कि पुर्नगठित भूखण्ड पर सभवतया प्लेटस निर्माण किया जावेगा अतः समीपस्थ भूखण्डधारियों को पर्याप्त वेंटिलेशन प्राप्त हो इस आशय से निम्न सैटबैक रखते हुये पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया:-

सैटबैक:-

सामने-30'-0" (60' सडक की ओर)

सामने-15'-0" (30' सडक की ओर)

सामने-15'-0" (30' सडक की ओर)

साईड-20'-0" (भूखण्ड संख्या 67 की ओर)

अन्य पैरामीटर्स जविप्रा भवन विनियम 2010 अनुसार देय होंगे।

प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या:-4

170/10.01.2012(जोन-11)

विषय:-जविप्रा की आवासीय स्पेशल ईकोनोमी जोन में सम्मिलित ग्राम खटवाडा में दर्शित पी. यू व ग्राम कलवाडा आरक्षित भूमि एवं ग्राम टीलावास में दर्शित पार्क का अंतिम उपयोग (एण्डयूज) निर्धारित किये जाने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि कि ग्राम खटवाडा, ग्राम कलवाडा व ग्राम टीलावास में दर्शित पार्क/पब्लिक यूटिलिटी का एण्ड यूज (अंतिम उपयोग) पी.एच.ई.डी हेतु निर्धारित किया जावे।

एण्डयूज परिवर्तन के संबंध में यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्व योजनाओं में भी पार्क एवं सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि को पी.एच.ई.डी व विद्युत निगम (जे.वि.वि.एन.एल.) हेतु उपयोग में लिये जाने हेतु संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक से राय ली जाकर एवं आवश्यकता तय कर तदानुसार आवंटित किया जा सकेगा। जिसके लिये पृथक से प्रकरण को बीपीसी के समक्ष रखना आवश्यक नहीं होगा। जोन स्तर से ही कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या:-5

170/10.01.2012(जोन-12)

विषय:-निजी खातेदारी की हाईटेक सिटी योजना के भूखण्ड संख्या 20, 21, 22 के पुर्नगठन के संबंध।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न सैटबैक के अनुसार भूखण्ड संख्या 20, 21, 22 के पुर्नगठन को स्वीकृत कर राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया:-



सैटबैक:-

- सामने - 9.00 मीटर (30 मीटर सड़क की ओर)
- साईड - 9.00 मीटर (भूखण्ड 23 की ओर)
- साईड - 6.00 मीटर (9 मीटर सड़क की ओर)
- पीछे - 9.00 मीटर (अन्य सहकारी समिति के भूखण्ड)

अन्य मानदण्ड जविप्रा भवन विनियम 2010 के अनुसार देय होंगे।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या-1

170/10.01.2012(जोन-12)

विषय:- मैसर्स अन्सल टाउनशिप एण्ड लैण्ड डवलपमेंट के खसरा नं. 435/1, 436, 439, 435/2, 454/2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा में ग्राम सरनाचौड तहसील जयपुर में आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में भूखण्ड संख्या 7 से 13 के सामने नरगा की सड़क है तथा इस सड़क में अन्य खातेदारी की भूमि भी शामिल है। इसलिये समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 7 से 13 के सामने 40'-0" सड़क स्वीकृत की जावे। इस सड़क में आने वाली भूमि यदि निजी हो तो अन्य खातेदारों से लेकर निजी विकासकर्ता द्वारा समर्पण की कार्यवाही की जावे। 40' चौड़ी सड़क की उपलब्धता के संबंध में उपायुक्त जोन द्वारा सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् इस योजना की स्वीकृति जारी की जा सकती है।

योजना की भूमि का भू-उपान्तरण जिलाधीश जयपुर द्वारा किया गया है जिसकी शर्त के अनुसार 2वर्ष में योजना की क्रियान्विति आवश्यक है। खातेदार द्वारा 2 वर्ष में योजना की क्रियान्विति नहीं किये जाने के कारण जोन द्वारा इस संबंध में निदेशक विधि से राय प्राप्त की। निदेशक विधि द्वारा राय व्यक्त की कि 2वर्ष में यदि मौके पर विकास कार्य किया है तो उसे consider किया जावे। मौके पर हुये विकास की जांच हेतु जोन द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है एवं बिजली की लाईन डाली हुई है। अतः विचार विमर्श पश्चात् योजना में नरगा सड़क की (40' चौड़ी सड़क हेतु आवश्यक) भूमि समर्पित किये जाने की शर्त पर योजना को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या-2

170/10.01.2012(जोन-1)

विषय:- श्रीरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 2ए एवं 2बी एक्सटेंशन सूरज नगर (पश्चिम) के नियमन की स्वीकृति हेतु।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत योजना की सदस्यता सूची एवं योजना 1722 व 634 योजनाओं की सूची में दर्ज है अथवा नहीं के संबंध में सहकारिता प्रकोष्ठ से जाँच करवायी जावे, तदुपरांत प्रशासनिक परीक्षण उपरांत प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।

अति. एजेण्डा संख्या-3

170/10.01.2012(जोन-7)

विषय:- भूखण्ड संख्या 21 महादेव नगर के सैटबैक में संशोधन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत योजना में इस भूखण्ड के साईडों में 10' एवं 7.6' के सैटबैक स्वीकृत किये गये हैं। जबकि इस श्रेणी के भूखण्डों में सामान्यतः साईड-1-10'-0" एवं साईड-2 में चरपेटा देय है। वर्तमान में स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार सैटबैक छोड़े जाने पर भूखण्ड पर 32.89 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल ही उपलब्ध होता है। समिति द्वारा योजना मानचित्र का अवलोकन किया एवं पाया कि इसी सड़क पर इस श्रेणी के कुछ भूखण्डों में एक साईड चरपेटा दिया गया है। आवेदक को सुना गया आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके एवं उनके लगते हुये भूखण्ड द्वारा संयुक्त आवेदन दिया गया है एवं सैटबैक शून्य फीट अर्थात् चरपेटा दिया जावे। इसलिये समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि भूखण्ड में आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने हेतु 7'-6" सैटबैक की ओर 5'-0" का सैटबैक कर दिया जावे एवं लगते हुये भूखण्ड का आवेदन आने पर तदानुसार छूट दिये जाने पर विचार किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


19/01/12
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2011/डी-40

दिनांक:- 19/01/12

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
11. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


19/01/12
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 171 वीं बैठक दिनांक 17.01.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री राजन विशाल, सचिव, जयपुर।
2. श्री एन.के. खरे, निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र सिंह उपायुक्त जोन-1, जयपुर।
2. श्री हरिदर सिंह उपायुक्त जोन-6, जयपुर।
3. श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन-7, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाड़ी, वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जयपुर।
5. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (III), जयपुर।
6. श्री मो० इरशाद, DCE-I, जयपुर।
7. श्री राजेन्द्र भट्ट, उप रजिस्ट्रार, जयपुर।
8. अजय कुमार शर्मा, तहसीलदार जोन-4, जयपुर।
9. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर।

शुद्धि:-

बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 169 दिनांक 17.11.2011 के अति एजेण्डा नं.-2 में त्रुटिवश भूखण्ड संख्या 73/3, 47/2, 75/1, जमना नगर अजमेर रोड का एन्ट्रि हो गया है जिसे भूखण्ड संख्या 73/3, 74/2, 75/1 का संशोधन किया जाना।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

171/17.01.2012(जोन-6)

विषय:- मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं.-3, जीवनदीप कोलोनी के भूखण्ड संख्या-40 क्षेत्रफल 462.88 वर्गगज के नियमन बाबत।


प्रवर्णन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कानोता वाग के बाद में सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में स्थगन आदेश होने के कारण सड़क क्ष. में आने वाली भूमि को सड़क क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में जब तक कानोता वाग के बाद में निर्णय नहीं होता जब तक प्रवर्णन को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1
171/17.01.2012 (जून-11)

विषय:-श्री गणपति गृह निर्माण सकारी समिति की योजना गणेश विहार विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् योजना में 10 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति लिए जाने एवं योजना में प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जाकर योजना मानचित्र को नियमानुसार स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


सदस्य सचिव,
भवन/मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान),
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी), बीपीसी/2012/डी- 52

दिनांक:- 23/1/12

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्थायता शारान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(एमि), जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा, जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
11. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
12. सिरटम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,
भवन/मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :

दिनांक

बीपीसी (एलपी) की बैठक में रखे जाने वाला एजेण्डा नोट

विषय : जलमहल हाउसिंग को सी. लि. की योजना न.7 (एच.आर. कॉलोनी) के मुख्यण्ड संख्या 38 के स्थान पर मुख्यण्ड संख्या 1 का शुद्धीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| आवेदक का नाम | रमजानी पुत्र अल्ला बक्श |
| योजना का नाम | स्कीम नम्बर 7 (एच.आर. कॉलोनी) |
| मुख्यण्ड संख्या | 38 वर्तमान मुख्यण्ड संख्या 1 |
| क्षेत्रफल | 166.66 वर्ग गज |

प्रकरण के तथ्य :-

1. जलमहल हाउसिंग को सी. लि. की स्कीम नम्बर 7 (एच.आर. कॉलोनी) में मुख्यण्ड संख्या 38 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज का आवेदन रमजानी पुत्र अल्ला बक्श के नाम दिनांक 25.02.79 जारी किया गया है।
2. योजना अनुमोदित मानचित्र में मुख्यण्ड संख्या 38 शामिल नहीं है।
3. दैनिक गारकर में दिनांक 11.10.2011 को एक विज्ञापन प्रकाशित की गई थी प्रार्थी श्री रमजानी पुत्र अल्लाबक्श मुख्यण्ड संख्या 38 जो अनुमोदित योजना मानचित्र में अंकित नहीं है लेकिन अनुमोदित मानचित्र में 1 अंकित है जिस पर प्रार्थी पुराना मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहा है जिसका जन्म/पट्टा जारी किये जाने में किसी पश्चात्त को कर्ट अप्रॉक्स नहीं है का प्रकाशन किया गया है जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
4. मुख्यण्ड संख्या 1 पर प्रार्थी निवास कर रहा है।
5. मौका रिपोर्ट अनुसार मौक पर मुख्यण्ड संख्या 38 अस्तित्व में नहीं है अतियु कुल मुख्यण्डों की संख्या 37 है।
6. समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में भी प्रार्थी श्री रमजानी पुत्र अल्ला बक्श का नाम ही अंकित नहीं है। जब सचिवदार (सहकारिता) जयपुर जयपुरा जयपुरा द्वारा प्रार्थी का नाम प्रतिस्थापन किया जा चुका है।
7. प्रार्थी द्वारा वर्ष 1935 में जयपुर स्वयंसेवक के नाम से जारी सिविली के बिल की फोटो प्रस्तुत की गयी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी को सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड संख्या 38 का आवंटन किया गया था, जिसके स्थान पर भूखण्ड संख्या 1 के नाम से ही उक्त भूखण्ड का नियमन किया जाना है। जबकि प्रस्तुत सूची में भूखण्ड संख्या 1 का उल्लेख नहीं है अपितु भूखण्ड संख्या 1/ए श्रीमति माया देवी वर्मा परिण किशन लाल वर्मा अंकित है, जबकि प्रार्थी भूखण्ड संख्या 1 पर मय परिवार पुख्ता मकान बनाकर वर्ष 1980-81 से निवास कर रहा है और सबूत के तौर पर बिजली, पानी के बिल की फोटोप्रति वर्ष 1985 की प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार योजना के अनुमोदित मानचित्र में उक्त भूखण्ड संख्या 1 अंकित है।

प्रकरण जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.12.11 में रखा गया। प्रकरण में विचार विमर्श कर जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा श्री रमजानी पुत्र अल्ला बक्स स्कीम नम्बर 7, (एच.एल. कॉलोनी), के भूखण्ड संख्या 38 का आवंटन पत्र जारी किया गया था, लेकिन मौके पर भूखण्ड दर्शित नहीं होने पर प्रार्थी भूखण्ड संख्या 1 पर निवास कर रहा है। भूखण्ड संख्या 38 को विलोपित कर अनुमोदित मानचित्र में सृजित भूखण्ड संख्या 1 को दैनिक मारकर में प्रकाशित विज्ञापित एवम् कब्जे के आधार पर भूखण्ड संख्या 1 को अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा पुराने कब्जे एवम् सबूत के अनुसार भूखण्ड संख्या 38 के आवंटन पत्र को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड संख्या 1 का नियमन कर जोन स्तर पर पट्टा जारी किये जाने निर्णय लिया गया। प्रकरण प्रशासनिक रवीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया।

अतः प्रकरण बीपीसी (एल.पी.) के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

१५
उपायुक्त, जोन-2

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एजेण्डा क्रमांक.....

दिनांक

बीपीसी की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट


विषय :- बीपीसी बैठक संख्या 62/2000 दिनांक 22.07.2000 के अनुसार भूखण्ड संख्या 114 से 132 तक 160 फीट सड़क से प्रभावित होने एवं निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किये गये।

सन्दर्भ :- भूखण्ड संख्या 123 व पार्ट भूखण्ड संख्या 102, 103 योजना संतोष नगर का पुनर्गठन करने बाबत।

प्रकरण के तथ्य :-

श्री आनन्द कृष्ण पारीक द्वारा भूखण्ड संख्या 102 व 103 क्षेत्रफल 485.80 वर्ग गज में से 95.81 वर्ग गज हिस्सा क्रय करने के पश्चात् श्री अभिवन तिवाड़ी एवं अभिनीत तिवाड़ी पुत्रान् श्री नरेन्द्र कुमार पारीक के नाम रजिस्टर्ड गिफ्ट की गई है। भूखण्ड संख्या 123 क्षेत्रफल 245.00 वर्ग गज का हस्तान्तरण श्री नरेन्द्र कुमार पारीक एवं श्रीमती कल्पना पारीक के नाम जविप्रा द्वारा किया गया है। भूखण्ड संख्या 123 क्षेत्रफल 245.00 वर्ग गज में से 160 फीट रोड़ हिस्सा कम करने पर शेष 109.37 वर्ग गज भूमि शेष रहती है। 109.37 वर्ग गज क्षेत्रफल में निर्मित योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण योजना मानचित्र में भूखण्ड का अनुमोदन नहीं किया गया है। श्री नरेन्द्र कुमार पारीक एवं श्रीमती कल्पना पारीक द्वारा भूखण्डों के पुनर्गठन हेतु भूखण्ड संख्या 123 क्षेत्रफल 109.37 वर्ग गज व पार्ट भूखण्ड संख्या 102, 103 का क्षेत्रफल 95.81 वर्ग गज का पुनर्गठन चाहा गया है। भूखण्ड संख्या 123 व पार्ट भूखण्ड संख्या 102 व 103 का स्वामित्व माता-पिता व पुत्रों के रिस्ते में है। पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 205.18 वर्ग गज है।

अतः प्रकरण बीपीसी के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


सहायक नगर नियोजक/
नगर नियोजन सहायक जोन-5


उपायुक्त जोन-5

कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
उपविभाजन हेतु चैकलिस्ट

| | | |
|----|--|---|
| 1 | उपविभाजन का आधार (सलग्न दस्तावेज) पुनर्गठन | विक्रम पत्र सेट नं. 102-ए/103 कारण नं. 12-3 |
| 2 | सैट की स्थिति (निर्माण व उपयोग) लगाव नका | नं. 12-3 निर्मित व कार्यालय उपयोग |
| 3 | अग्र सेट बैंक में निर्माण की स्थिति | नं. 102-ए/103 विक्रम पुनर्गठित अग्र सेट बैंक से निर्मित विक्रम |
| 4 | पूर्व का निर्माण है तो कितना पुराना | 1/25 उपलब्ध नहीं है। |
| 5 | उपविभाजित भाग तक पहुंचने हेतु सड़क की चौड़ाई पुनर्गठन | 16 फीट रोड |
| 6 | क्या प्रस्तावित उपविभाजित भाग को निर्माण योग्य क्षेत्रफल मिलता है ? | उपरोक्त प्रकल्प के निर्माण योग्य क्षेत्रफल मिलता है। |
| 7 | अनुज्ञेय पैरामीटर्स | अग्र पार्श्व प्रथम पार्श्व द्वितीय पीछे |
| | सेट बैंक | 205.05 के ऊपर सेट बैंक प्रस्ताव |
| | ऊंचाई | नियमानुसार |
| | एफ.ए.आर. | नियमानुसार |
| | आच्छादन | सेट बैंक के अनुसार |
| 8 | क्या उपविभाजन में सेट बैंक का विकस्य अलग से हुआ है पुनर्गठन | — |
| 9 | उपविभाजन का क्षेत्रफल | 205-18 वर्ग मीटर |
| 10 | अनुमोदित मानचित्र एवं प्रस्तावित उपविभाजन के अनुसार स्थिति (स्कैच) अनुमोदित मानचित्र अनुसार पुनर्गठन | प्रस्तावित उपविभाजनानुसार N ← |
| 11 | स्वामित्व अलग-अलग होने पर क्या संयुक्त रूप से आवेदन किया गया है ? | हाँ |
| 12 | क्या उपविभाजन में कोई सरकारी रास्ता शामिल है यदि हां तो बराबर भूमि आरक्षण की स्थिति | नहीं |
| 13 | एफ.ए.आर. की स्थिति मूल पर उपविभाजन पर देय लेवी | नियमानुसार |
| 14 | देय शुल्क | नियमानुसार |

अनुरेखक

(Signature)
कनिष्ठ अभियंता

(Signature)
सहायक नगर निरीक्षक

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
बीपीसी(एलपी) की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट

| | |
|----------------|---|
| एजेण्डा संख्या | |
| दिनांक | |
| जोन | 6 |

विषय:- ग्राम झोटवाडा के खसरा नम्बर 12645 में निजी खातेदार द्वारा 0.8 बिस्वा भूमि में से 100.00 वर्गगज भूमि का पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य:-

ग्राम झोटवाडा के खसरा नम्बर 12645 में निजी खातेदार द्वारा 0.8 बिस्वा भूमि में से 100.00 वर्गगज भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया है।

खसरा नम्बर 1264 ग्राम झोटवाडा कुल रकबा 0.08 बिस्वा भूमि की, 90वाँ दिनांक 12.08.2011 को श्री प्रहलाद सिंह, प्रभाती देवी पत्नी गंगाराम, कमला देवी, संध्या देवी, विमला देवी पुत्रियान श्री गंगाराम, कस्तुरी देवी, राजू देवी पत्नी श्री नानगराम लक्ष्मी, मनीषा पुत्रियान व नेमीचन्द्र पुत्र श्री नानगराम के पत्र में की गयी है जिसमें से श्री प्रहलाद सिंह का हिस्सा 10/121 अर्थात् 100.00 वर्गगज होता है।

मास्टर विकास योजना 2025 में इस भूमि का भू-उपयोग आवासीय हे मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार इस भूमि में से कोई सेक्टर रोड में नहीं जा रही है।

योजना में कुल 8 भूखण्ड है जिसमें से 7 भूखण्ड निर्मित है इन भूखण्डों का क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज से कम है तथा मौके पर सडक 11'-0" चौड़ी उपलब्ध है।

उपविभाजन नियमों के अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल कम से कम 100.00 वर्गगज तथा कम से कम 30'-0" चौड़ी सडक अपेक्षित है।

जोन द्वारा योजना अनुमोदन के संबंध में जेएडएलसी दिनांक 12.12.2011 को की है जिसकी प्रति संलग्न है जिसमें 11'-0" चौड़ी सडक को 20'-0" किए जाने की शर्त पर योजना अनुमोदन करने की अनुशंसा की है।

योजना में भू-उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है।

| भू-उपयोग | क्षेत्रफल (वर्गगज) | प्रतिशत |
|---------------|--------------------|---------|
| आवासीय | 619.15 | 58.59% |
| सडक | 675.10 | 41.41% |
| कुल क्षेत्रफल | 1294.25 | 100.00% |

योजना अनुमोदन के संबंध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



जोन स्तरीय समिति का एजेण्डा नोट

विषय:- श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार-15 के भूखण्ड सं. 31 क्षेत्रफल 131 व.ग. के नियमन बाबत।

मामले के तथ्य:-

श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार-15 के भूखण्ड सं. 31 क्षेत्रफल 131.00 व.ग. समिति द्वारा श्री बंशीधर शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा को आवंटित किया गया है, जिसके नियमन हेतु श्री बंशीधर सैनी द्वारा आवेदन किया गया है।


अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड सं. 31 को हाईटेशन लाईन से प्रभावित दर्शाया गया है। उक्त सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जे.वी.वी.एन.एल. के पत्र क्रमांक 112 दिनांक 19.5.11 के आधार पर उक्त भूखण्ड से एच.टी.लाईन हट चुकी है।

जोन कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सं. 31 का क्षेत्रफल $31'-6''+20'-6''/2 \times 42'-6'' = 122.77$ व.ग. है।

अनुमोदित योजना मानचित्र में उक्त भूखण्ड के उपर से 133 के.वी.एच.टी.लाईन गुजर रही थी, जिससे भूखण्ड को नोट अप्रूव्ड कर रखा है। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पृष्ठ सं. 30/सी पर सलंगन है।

जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.1.2012 को आयोजित की गई, जिसमें चर्चा की गई कि अनुमोदित योजना मानचित्र में उक्त भूखण्ड हाईटेशन लाईन से प्रभावित होने के कारण नोट अप्रूव्ड दर्शाया गया है। अतः उक्त भूखण्ड को योजना मानचित्र में अप्रूव्ड करने हेतु बीपीसी (एल.पी.) में भेजने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रकरण बीपीसी (एल.पी.) के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


उप नगर नियोजक


उपायुक्त 23/11/12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट:-

विषय:- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 9 से 16 के पुनर्गठन बाबत।

प्रकरण के तथ्य:-

- श्रीमती भारती राणावत पत्नी श्री आर.वी.एस राणावत व अन्य एक ही परिवार के (पति, पति एवं पुत्र) द्वारा संयुक्त रूप से सहमति पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 9 से 16 ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार का पुनर्गठन करने हेतु आवेदन किया गया है। पुनर्गठित किये जाने वाले भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:-

भूखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 400 वर्ग गज प्राधिकरण द्वारा जारी लीजडीड श्रीमती भारतावत पत्नी श्री वी. आर.वी.एस राणावत।

भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 400 वर्ग गज प्राधिकरण द्वारा जारी लीजडीड श्रीमती भारती राणावत पत्नी श्री वी.आर.वी.एस राणावत

भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 406.65 वर्ग गज प्राधिकरण द्वारा जारी लीजडीड श्रीमती भारती राणावत पत्नी श्री वी.आर.वी.एस राणावत।

भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 360.60 वर्ग गज प्राधिकरण द्वारा जारी लीजडीड श्री वी.आर.वी.एस राणावत पुत्र श्री भवानी सिंह।

भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 357.73 वर्ग गज प्राधिकरण द्वारा जारी लीजडीड श्री वी.आर.वी.एस राणावत पुत्र श्री भवानी सिंह

भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 380 वर्ग गज जारी लीजडीड श्री निशांत राणावत पुत्र श्री वी.आर.वी.एस राणावत

भूखण्ड संख्या 15 क्षेत्रफल 375 वर्ग गज प्राधिकरण जारी लीजडीड श्री जयन्त राणावत पुत्र पुत्र श्री वी.आर.वी.एस राणावत

भूखण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल 375 वर्ग गज जारी लीज डीड श्रीमती भारती राणावत पत्नी श्री वी.आर.वी.एस राणावत

कुल पुनर्गठित क्षेत्रफल - 3054 वर्ग गज

मौका स्थिति- मौके पर भूखण्ड संख्या 9, 10, 15 व 16 में इकजाई भवन निर्मित हैं। भूखण्ड संख्या 13 में कमरा व टायलेंट का निर्माण किया हुआ है। भूखण्ड संख्या 9 से 16 की इकजाई कम्पाउण्डवाल निर्मित हैं।

मौके पर किये गये निर्माण को पुनर्गठित भूखण्ड के मानचित्र अनुमोदन होने से पूर्व निर्माण को हटा लेंगे इस बाबत भूखण्डधारी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया हुआ है।

- योजना मानचित्र अनुसार :-

| भू.सं. | अग्रसैटबैक | साईड-1 | साईड-2 | चिठे |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|
| भू.सं. 9 से 11 | 20'-0" | 10'-0" | चरपेटा | 10'-0" |
| भू.सं. 12 से 13 | 20'-0" | 15'-0" | चरपेटा | 10'-0" |
| भू.सं. 14 से 16 | 20'-0" | 10'-0" | चरपेटा | 10'-0" |

- प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्ड के सैट बैक पुनर्गठन उपविभजन के राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार

- अग्रसैटबैक- 40'-0" योजनानुसार (160'-0" सड़क की ओर)
- अग्रसैटबैक 15'-0" योजनानुसार (40'-0" सड़क की ओर)
- साईड-1 20'-0" (30'-0" सड़क की ओर)
- साईड-2 15'-0" (योजना के अनुसार)

अन्य पैरा मीटर्स भवन विनियम 2010 के अनुसार प्रस्तावित हैं।

जो न स्तरीय समिति के निर्णयानुसार प्रकरण बी.पी.सी.(एल.पी.) में भिजवाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

आवासीय भूखण्डों का पुनर्गठित क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी. से अधिक हैं। अतः राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित पुनर्गठन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

सहायक नगर नियोजक जोन-7

14

उपायुक्त जोन-7

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 9 व 16 के पुर्नगठन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के विचारणीय बिन्दु:-

पुर्नगठित भूखण्ड के सैटबैक निम्नानुसार देय होंगे।

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3054.98 वर्गगज (2553.14 वर्गमीटर)

160'-0" सडक की ओर 12.0 मीटर

40'-0" सडक की ओर 9.0 मीटर

30'-0" सडक की ओर 9.0 मीटर

भू. सं.- 17, 8 की ओर 9.0 मीटर

अन्य मानदण्ड जविप्रा विनियम 2010 व इसमें संशोधन के अनुसार देय होंगे।



बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट

विषय—भूखण्ड संख्या 7, 8, 9, 26, 27, 28 योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.) के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

प्रकरण के तथ्य—

भूखण्ड संख्या 7, 8, 9, 26, 27, 28 योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.) के भूखण्डधारियों व प्रार्थीगणों ने संयुक्त रूप से पुर्नगठन हेतु आवेदन किया है। जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त भूखण्डों की लीजडीड जविप्रा द्वारा जारी की हुई है।


भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-


| क्र.सं. | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल वर्ग. गज में | भूखण्डधारी का नाम |
|---------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 7 | 316.16 | श्रीमती कामिनी सेठी |
| 2 | 8 | 316.16 | श्री रोहित सेठी |
| 3 | 9 | 311.28 | श्री रोहित सेठी |
| 4 | 26 | 247.95 | श्री अमित सेठी |
| 5 | 27 | 253.33 | श्री अमित सेठी |
| 6 | 28 | 253.33 | श्री सुमित सेठी |
| कुल योग | | 1699.21 व.ग. | |

भवन विनियम 2010-11 के अनुसार पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स किया जाना प्रस्तावित है :-

- मानक एफ.ए.आर-1.33
- अधिकतम एफ.ए.आर-2.25 (नियमानुसार शुल्क सहित)
- ऊचाई- भवन विनियम 2010 के 8.11 के अनुसार
- सैटबैक-30'-0" (40'-0" रोड़ की और)
- 15'-0" (30'-0" रोड़ की और)
- 15'-0" (30'-0" रोड़ की और)
- 15'-0" (भूखण्ड संख्या 6, 29 की और)
- आच्छादन-सैट बैक के अन्दर ।

प्रस्तुत भूखण्डों का प्रस्तावित पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


सहायक नगर निधीजक
जोन-9


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट

विषय-भूखण्ड संख्या 4, 5, 6, 29, 30, 31 योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.)
के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

प्रकरण के तथ्य-

भूखण्ड संख्या 4, 5, 6, 29, 30, 31 योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.) के भूखण्डधारियों व प्रार्थीगणों ने संयुक्त रूप से पुर्नगठन हेतु आवेदन किया है। जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त भूखण्डों की लीजडीड जविप्रा द्वारा जारी की हुई है।


भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल वर्ग गज में | भूखण्डधारी का नाम |
|---------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 4 | 311.28 | श्री शांति कुमार सेठी |
| 2 | 5 | 316.66 | श्री शांति कुमार सेठी |
| 3 | 6 | 316.66 | श्रीमती कामिनी सेठी |
| 4 | 29 | 247.95 | श्री सुमित सेठी |
| 5 | 30 | 253.33 | श्री शांति कुमार सेठी एण्ड सन्स |
| 6 | 31 | 253.33 | श्री शांति कुमार सेठी एण्ड सन्स |
| कुल योग | | 1699.21 व.ग. | |

भवन विनियम 2010 के अनुसार निम्न पैरामीटर्स एवं सैट बैक्स किया जाना प्रस्तावित है :-

- मानक एफ.ए.आर-1.33
- अधिकतम एफ.ए.आर-2.25 (नियमानुसार शुल्क सहित)
- ऊचाई- भवन विनियम 2010 के 8.11 के अनुसार
- सैटबैक-30'-0" (40'-0" रोड़ की और)
- 30'-0" (40'-0" रोड़ की और)
- 15'-0" (30'-0" रोड़ की और)
- 15'-0" (भूखण्ड संख्या 7, 28 की और)
- आच्छादन-सैट बैक के अन्दर।

प्रस्तुत भूखण्डों का प्रस्तावित पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


सहायक नगर नियोजक

जोन-9


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
बीपीसी(एलपी) की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट

| | |
|----------------|----|
| एजेण्डा संख्या | |
| दिनांक | |
| जोन | 12 |

विषय:- मृदुल लोयलका खसरा नम्बर 1952, 1953/2, 1953/3, जैतपुरा, चौमू के फ्लैटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य:-

शरद लोयलका खसरा नम्बर 1952, 1953/2, 1953/3, जैतपुरा, चौमू रकबा 0.25 हेक्टेयर में फ्लैटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा लिए जाने हेतु आवेदन किया है।

प्रश्नगत भूमि की 90वीं का निर्णय दिनांक 10.03.2011 को हुआ है। इस क्षेत्र का सेक्टर प्लान बना है।

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक है। मास्टर विभाग योजना 2025 के अनुसार इस भूमि में से मास्टर विकास योजना 2025 की कोई सड़क नहीं गुजर रही है।

मास्टर प्लान प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्डों के सामने 18.00 मीटर सड़क आवश्यक है।

प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी इस भूखण्ड पर फ्लैटेड ग्रुप इंडस्ट्री लगाना चाहता है मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार फ्लैटेड ग्रुप हाउसिंग के पास में सड़क 12.0 मीटर चौड़ी सड़क ही अनुज्ञेय है।

मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार फ्लैटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज में निम्न मानदण्ड प्रस्तावित है।

क्षेत्रफल - 0.1 हेक्टेयर

सड़क - 12.0 मीटर

प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गये हैं।

अतः फ्लैटेड ग्रुप हाउसिंग हेतु एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
बीपीसी(एलपी) की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट

| | |
|----------------|----|
| एजेण्डा संख्या | |
| दिनांक | |
| जी.नं. | 12 |

विषय:- संजय केडिया पुत्र श्री गौरी शंकर केडिया खसरा नम्बर 1951/8, 1953/6, 1964/2538, जैतपुरा, चौमू के प्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य:-

शरद लोथलका खसरा नम्बर 1951/8, 1953/6, 1964/2538, जैतपुरा, चौमू रकबा 0.25 हैक्टेयर में प्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा लिए जाने हेतु आवेदन किया है।

प्रश्नगत भूमि की 90वीं का निर्णय दिनांक 10.03.2011 को हुआ है। इस क्षेत्र का सेक्टर प्लान नहीं बना है।

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक है। मास्टर विभाग योजना 2025 के अनुसार इस भूमि में से मास्टर विकास योजना 2025 की कोई सड़क नहीं गुजर रही है।

मास्टर प्लान प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्डों के सामने 18.00 मीटर सड़क आवश्यक है।

प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी इस भूखण्ड पर प्लेटेड ग्रुप इंडस्ट्री लगाना चाहता है मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार प्लेटेड ग्रुप हाउसिंग के पास में सड़क 12.0 मीटर चौड़ी सड़क ही अनुज्ञेय है।

मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार प्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज में निम्न मानदण्ड प्रस्तावित है।

क्षेत्रफल - 0.1 हैक्टेयर

सड़क - 12.0 मीटर

प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गये हैं।

अतः प्लेटेड ग्रुप हाउसिंग हेतु एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


19

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
बीपीसी(एलपी) की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट

| | |
|----------------|----|
| एजेण्डा संख्या | |
| दिनांक | |
| जोन | 12 |

विषय:- शरद लोयलका खसरा नम्बर 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1951/4, जैतपुरा, चौमू के फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य:-

शरद लोयलका खसरा नम्बर 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1951/4, जैतपुरा, चौमू रकबा 0.25 हैक्टेयर में फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज के एकल पट्टा लिए जाने हेतु आवेदन किया है।

प्रश्नगत भूमि की 90वीं का निर्णय दिनांक 10.03.2011 को हुआ है। इस क्षेत्र का सेक्टर प्लान नहीं बना है।

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक है। मास्टर विभाग योजना 2025 के अनुसार इस भूमि में रो मास्टर विकास योजना 2025 की कोई सड़क नहीं गुजर रही है।

मास्टर प्लान प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्डों के सामने 18.00 मीटर सड़क आवश्यक है।

प्राथी ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्राथी इस भूखण्ड पर फ्लेटेड ग्रुप इंडस्ट्री लगाना चाहता है मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग के पास में सड़क 12.0 मीटर चौड़ी सड़क ही अनुज्ञेय है।

मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग इंडस्ट्रीज में निम्न मानदण्ड प्रस्तावित है।

क्षेत्रफल - 0.1 हैक्टेयर

सड़क - 12.0 मीटर

प्रकरण का बीपीसी (एलपी) की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गये हैं।

अतः फ्लेटेड ग्रुप हाउसिंग हेतु एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
बीपीसी(एलपी) की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट

| | |
|----------------|----|
| एजेण्डा संख्या | |
| दिनांक | |
| जोन | 13 |

विषय:- श्री प्रदीप मित्तल एवं मनोज मित्तल का ग्राम कानोता तहसील बस्ती में खसरा नम्बर 270, 275, 276, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/4, 285, 929/281 में कुल रकबा 53 बीघा 2 बिस्वा भूमि में रिसॉट प्रयोजन का एकल पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य:-

श्री प्रदीप मित्तल एवं मनोज मित्तल का ग्राम कानोता तहसील बस्ती में खसरा नम्बर 270, 275, 276, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/4, 285, 929/281 में कुल रकबा 53 बीघा 2 बिस्वा भूमि में रिसॉट प्रयोजन का एकल पट्टा चाहा है।

प्रश्नगत भूमि की 90वीं का निर्णय दिनांक 13.04.2011 को हुआ है।

इस क्षेत्र का सेक्टर प्लान नहीं बना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-11 आगरा रोड की चौड़ाई 300'-0" निर्धारित है तथा 100'-0" का प्लान्टेशन कोरीडोर जिसमें किसी तरह की निर्माण अनुमति योग्य नहीं है। 300'-0" चौड़ी सड़क में आने वाली भूमि अन्य खातेदारों की है इसलिए प्रार्थी ने भूखण्ड में जाने हेतु 100'-0" चौड़ाई की भूमि दिए जाने हेतु एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रकरण को बीपीसी(एलपी) की बैठक क्रमांक 167 दिनांक 12.09.2011 में विचारार्थ प्रस्तुत किया था जिसमें मास्टर प्लान 2025 के संबंध में प्रकरण की जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया था।

मास्टर विकास योजना 2025 के संबंध में जाँच की, जिसके अनुसार इस भूमि का उपयोग U-3(M1Z) है जिसमें रिसॉट अनुज्ञेय है। मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि दर्शायी है योजना मानचित्र की प्रति पेज 29/री पर उपलब्ध है।

रिसॉट का क्षेत्र 3.0 हेक्टेयर से अधिक है इसलिए इस भूमि के अन्य साइड में 9.0-9.0 मीटर भूमि सड़क हेतु लिया जाना अपेक्षित है। भूमि की स्थिति इरेगुलर साइज में है इसलिए सड़क की भूमि के संबंध में बीपीसी(एलपी) में ही निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। एकल पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल 40000.00 वर्गमीटर से अधिक है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।

रिसॉट प्रयोजन हेतु एकल पट्टा दिए जाने की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

